पत्र संख्या-2/2024/I/511415/2024/फाईल नं0-86-01001/4/2019

प्रेषक

विजय कुमार
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 04.03.2024

विषयः अवैध खनन/अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जनपद की प्रवर्तन टीम की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन टीमों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त 100 सशस्त्र एवं असशस्त्र पूर्व सैनिक अथवा होमगार्डस की सेवायें लेने के संबंध में ।

महोदया,

उपरोक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-3474/एस-51/2020(5) दिनांक 10.03.2023 पत्र संख्या-669/एम0/ए0-45/2009(3) दिनांक 25.05.2023 पत्र संख्या-1863/एम0/ए0-45/2009(3) दिनांक 14.09.2023 एवं पत्र संख्या-2247/एस-51/2020(5) दिनांक 30.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/सूचना के आधार पर अवैध खनन/अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जनपद की प्रवर्तन टीम की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन टीमों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त 100 सशस्त्र एवं असशस्त्र होमगार्डस की सेवायें लिये जाने से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीरकृति की निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं -

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु सशस्त्र/अशस्त्र होमगार्डस की सेवायें न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकतानुसार 01 वर्ष तक के लिए प्राप्त की जायेगी उक्त सेवायें प्राप्त किये जाने पर होने वाले व्यय के सापेक्ष राजस्व में वृद्धि की सम्यक समीक्षा के उपरान्त पुनः सेवायें प्राप्त किये जाने के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्थानीय स्तर पर संबंधित पुलिस/होमगार्डस की सेवायें प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर किये जाने के संबंध उच्च स्तखरीय बैठक एवं विभागीय समन्वय के माध्यम से यथोचित प्रयास किये जायेंगे।

(3) प्रस्तावित सेवायें प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई पद सृजन नहीं किया जायेगा। न्यूनतम आवश्यकतानुसार सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु देय पारिश्रमिक की व्यवस्था विभागीय बजट में करायी जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in